न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

मोहनलाल बनाम कल्याणी बाई वगै 0

प्रकरण संख्या :-02/2022

1. मोहन लाल पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना

.....प्रार्थी

1. कल्याणी बाई पत्नी तुलसीराम जाति लोधा निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
2. कालूराम पिता तुलसीराम जाति लोधा निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
3. बीरमचंद पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
4. कमलेश कुमार पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
5. कैलाश चंद्र पिता राम प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
6. मुरलीधर पुत्र राम प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
7. मनीष पिता बीरमलाल जाति लोधा निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहर थाना

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 17.04.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं- ग्राम बुधवार पटवार हलका टोडरी मीरा तहसील मनोहर थाना के माल की खाता संख्या नया 248 पुरानी 255 की खसरा नंबर क्रमशः 315, 319, 320, 354 कुल चार किता की 1. 6106 हेक्टेयर भूमि वादी के खाते दर्ज है।

2. ग्राम बुधवार पटवार हलका टोडरी मीरा तहसील मनोहर थाना के माल की खाता संख्या नया 88 पुरानी 83 की खसरा नंबर क्रमशः 155,156,158,324,330,331,332, कुल सात किता की

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

2.1692 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के खाते दर्ज है।

3.ग्राम बुधवार पटवार हलका टोडरी मीरा तहसील मनोहर थाना के माल की खाता संख्या नया 19 पुरानी 24 की खसरा नंबर क्रमशः 130, 131, 133, 193, 200, 218, 222, 262, 265, 266, 274, 276, 277, 278, 293, 298, 300, 301, 316, 317, 516, 517, 518, 519 520, 578, 579,580,707, कुल 29 किता की 13.8728 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण 07 लगायत 13 के खाते दर्ज है।

4. वादी के खसरा नंबर 320 पर आने जाने का वर्षों पुराना रास्ता है प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 324 की उतरी मेड एवं खसरा नंबर 277 कि दक्षिणी दिशा की मेड से होकर बाप दादाओ के जमाने से बना हुआ है जिस पर होकर दादा-पिता उक्त रास्ते से काश्त करने हेतु बैलगाड़ी कृषि यंत्रों को ले जाकर काश्त करते थे। उक्त आराजी पर आने जाने का इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इस मार्ग को अप्रार्थीगण द्वारा तारबंदी एवं पत्थर का कोट लगाकर बंद कर दिया गया है तथा उक्त नंबर पर जाने का पगडंडी रास्ता ही बचा है। प्रार्थी अपनी काश्त के लिए कृषि यंत्र ट्रेक्टर बैलगाड़ी नहीं ले जा सकता है अतः प्रार्थी को उक्त खसरा नंबर पर आने-जाने के लिए 10 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की गई की प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 320 पर आने-जाने का रास्ता अप्राथीगण के खसरा नंबर 277 व 324 की मेड से होकर दिलवाया जाए तथा उक्त रास्ते को रिकॉर्ड दर्ज किया जाए।

5. वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ-साथ अपना शपथ पत्र तथा नकल जमाबंदी स्वयं के खाते एवं प्रतिवादी के खाते की पेश की है।प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई।

6. अप्रार्थी संख्या 4 लगायात 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या एक लगायात तीन व सात की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या एक लगायात तीन व सात की तरफ से जवाब में कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 320 में आने-जाने के दो वैकल्पिक रास्ते पूर्वजों के समय से ही बने हुए हैं जो खसरा नंबर 297 चरागाह भूमि में से होकर अपने परदादा की पुश्तैनी आरजी खसरा नंबर 298,300, 316 में से होकर प्रार्थी आराजी को काश्त करता चला आ रहा है उक्त खसरा नंबर 298 300 316 आपसी बंटवारा होने पर अप्रार्थी कमलेश कुमार, कैलाश चंद्र, मुरलीधर एवं प्रार्थी के पूर्वजों के बीच बटवारा हो गया था इसी आरजी में से होकर प्रार्थी का वैकल्पिक मार्ग बना हुआ है और संचालित है। प्रार्थी के पास दूसरा वैकल्पिक मार्ग रास्ता कंकर सरकारी बुधवाड़ा में से होकर खसरा नंबर 310 एवं 163 से होकर चला आ रहा है जो संचालित है प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

गण की खाते की आराजी से रास्ता लेना चाह रहा है जो कि गांव के नजदीक है जबकि उक्त दोनों प्रचलित रास्ते प्रार्थी की आरजी से दूर है। इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाए जाने का प्रार्थना की।

7. तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी मोहन लाल पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बुधवाड़ा तहसील मनोहर थाना क़े खाता संख्या 248 क़े खसरा नंबर 320 रकबा 0.6556 हेक्टेयर किस्म चाही प्रथम में काश्त करने हेतु एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु खसरा नंबर 277 व 324 की आराजी में से होकर रास्ता चाहा गया है प्रार्थी के खसरा नंबर 320 पर आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है सबसे नजदीकी खसरा नंबर 333,332, 277,324 में से होकर 10 फीट चौड़ा वह 249 फीट लंबाई का रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होगी।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के प्रावधानानुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यान्तिक है, वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो लघुतम/निकटतम मार्ग (तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो) प्रदान करे। मार्ग भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित हो जाएगी।

यहां धारा 251क को देखना समीचीन होगा

251क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना - (1)जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

{ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या,यथास्थिति उनके जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखंड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर जो उसे अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाए, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुत्तम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा ना हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उसे अभिधारी को जो उसे भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या (विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखंड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए या प्रतिकर के संदाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानत: समान कीमत की और उसकी लगी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किए जाने पर) अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) क़े अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3) वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) में निरदिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा की उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में,जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य,तहसीलदार जाँच-रिपोर्ट का गौरपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया । ततपश्चात न्यायालय का प्रकरण पर विधिक परीक्षण निम्ननुसार है :-

प्रार्थीगण की वादग्रस्त जोत खसरा नं. 320 अप्रार्थीगण की जोत खसरा नं. 324,277, 332,333 से सटकर अवस्था में सिद्ध होती है। एवं खसरा नंबर धारा 251A(1) के प्रथम सिद्धान्तानुसार आवश्यकता आत्यन्तिक सिद्ध करने हेतु प्रार्थीगण ने शपथ-पत्र एवं जमाबंदी (संवत् 2073-2076) प्रस्तुत कर कृषि उत्पादन/उपकरण परिवहन हेतु वास्तविक बाधा प्रदर्शित की। यह केवल सुविधाजनक नहीं अपितु आत्यन्तिक आवश्यकता है । यह वैकल्पिक मार्ग के अभाव का प्रमाणीकरण है अप्रार्थीगण का कथन है कि दो वैकल्पिक रास्ते चालू मौजूद है, साक्ष्यरहित है एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

तहसीलदार स्थल निरीक्षण मौका रिपोर्ट से खण्डित है । **तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया कि "प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं" है**। धारा 251क(1)(ख) के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अभाव सक्षम राजस्व अधिकारी प्रमाणन से सिद्ध है ।

तहसीलदार रिपोर्ट क़े अनुसार खसरा 333,332,277,324 से 320 तक 10 फीट चौड़ा x 249 फीट लंबा निकटतम और न्यूनतम आवश्यक मार्ग प्रस्तावित किया गया है ।यह धारा 251A क़े अधिकतम 30 फीट सीमा क़े अनुरूप एवं न्यूनतम प्रभाव सिद्धान्त क़े अनुरूप है। प्रकरण तीनों शर्तें आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव, लघुतम पूर्ण करता है ।

-:आदेश:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी की आराजी ग्राम बुधवाड़ा तहसील मनोहरथाना क़े खसरा नंबर 320 तक पहुंच हेतु अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 333 की 0.1214 रकबा हेक्टेयर में से 0.0065 हेक्टेयर, खसरा नंबर 332 की 0.0324 में से 0.0018 हेक्टेयर, खसरा नंबर 277 की 0.2995 में से 0.0066 हेक्टेयर, खसरा नंबर 324 की 0.6070 में से 0.0078 हेक्टेयर भूमि को रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार किस्म रास्ता क़ीमतन दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । वर्णित रास्ते की वर्तमान डीएलसी की दुगने राशि का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया जाए । उक्त राशि को प्रार्थी द्वारा जमाराज करवाया जाकर अप्रार्थी को अदा करवाई जाए । नक्शा लट्ठा में तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किया जाए यदि अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को लेने से मना किया जाता है तो उक्त राशि बतौर अमानत नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाए । दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया ।

17.04.26

पुष्कर कुमार मिसल (आर. ए. एस.)

उपखण्ड अधिकारी

मनोहरथाना